संख्याः **24/2019/1343/87**-अति0ऊ0स्रो0वि0/2019

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एंव नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभागः **लखनऊः दिनांक 09 अक्टूबर, 2019**

विषयः सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2017 के अन्तर्गत स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 03/2018/87/94- स्टा0 नि0-2-2018/700(476)/2017 दिनांक 12-2-2018 द्वारा उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु सौर ऊर्जा इकाई स्थापित करने के लिए प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सौर परियोजनाओं से संबंधित विकासकर्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा नीति-2017 के अधीन परियोजना कमीशन करने की अवधि तक रू0 17.06 लाख (रू0 सत्रह लाख छह हजार मात्र) प्रति मेगावाट की दर से कान्ट्रेक्ट परफारमेंस गारण्टी (सीपीजी) के रूप में बैंक गारण्टी उ0प्र0 नवीन एंव नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, (यूपीनेडा) में जमा की जाती है। अतः सौर परियोजनाओं से सम्बन्धित विकासकर्ताओं को जिला उद्योग केन्द्र में बैंक गारण्टी जमा करने से छूट प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदया इस शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं कि उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण में जमा की गयी बैंक गारण्टी पर प्रथम चार्ज स्टैम्प डयूटी का होगा व स्टाम्प शुल्क में छूट की शर्तो की पूर्ति न होने पर स्टाम्प शुल्क के छूट के समतुल्य धनराशि इस बैंक गारण्टी से वसूल की जायेगी।

..........2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह शासनादेश स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांकःतदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
3- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0 कानपुर।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- औद्योगिक विकास अनुभाग-6
6- महानिरीक्षक, निबन्धन/आयुक्त, स्टाम्प, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
7- स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन,अनुभाग-2
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से
चारूलता
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।